Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone : 0141-2716816 e-mail : member-secretary@rpcb.nic.in

TollFree HelpLine No. : 18001806127 Ext. 7

क्रमांकः एफ.3(499)/रा.प्र.नि.मं./स्था./ **दिनांकः**

मैसर्स नेटकेयर सोल्यूशन,
133 प्रथम तल, सिटी प्लाजा,
बनीपार्क, जयपुर (राज.)

विषयः– कम्पयूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद् मैन) की सेवाएं उपलब्ध कराने के सम्बंध में।

संदर्भः– निविदा सूचना संख्याः एफ.3(499)/रा.प्र.नि.मं./स्था./959 दिनांक 20.07.2020 एवं आपके पत्र दिनांक 10.09.2020 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के क्रम में राज्य मण्डल के जयपुर स्थित मुख्यालय में संविदा पर 35 कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद् मैन) की सेवाएं निम्न शर्तो पर दिनांक 01.10.2020 से 1 वर्ष के लिए उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्यादेश दिया जाता हैः–

1. 35 कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद् मैन) (निर्धारित स्पेशीफिकेशन एवं योग्यता वाले) संविदा शर्तो के अनुरूप उपलब्ध करवाये जाने होंगे।
2. निविदादाता के द्वारा निविदा में दी गयी दर रूपये 9480.00 (जी.एस.टी. अतिरिक्त) प्रतिमाह/प्रति कम्प्यूटर मय ऑपरेटर रहेगी।
3. निविदा की सभी शर्तो की पालना करना अनिवार्य होगा।
4. निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों में से किसी भी कर्मी का कार्य एवं व्यवहार आदि सन्तोषजनक नहीं होने पर मण्डल द्वारा अवगत कराने पर उसे तत्काल हटाया जाकर उसके स्थान पर अन्य कर्मी उपलब्ध कराना होगा।
5. निविदादाता द्वारा उपलब्ध करवाये गये कार्मिकों में से किसी भी कर्मी द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत कोई न्यायिक कार्यवाही अथवा न्यायिक विवाद दायर किया जाता है, जो उसके लिये निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा। राज्य मण्डल का इस सम्बंध में कोई दायित्व नहीं होगा।
6. उपलब्ध कराया गया कार्मिक बिना अनुमति के मण्डल से अनुपस्थित नहीं रहेगा। 3 दिवस से अधिक अनुपस्थित रहने पर उसके स्थान पर दूसरा कार्मिक उपलब्ध कराना होगा।
7. निविदादाता द्वारा निर्धारित स्पेशीफिकेशन के अनुसार दिनांक 25.09.2020 तक राज्य मण्डल में कम्प्यूटर, प्रिन्टर मय यू.पी.एस. स्थापित कर प्रभारी अधिकारी, आई.टी. शाखा से सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा।
8. संविदा की वार्षिक राशि की 2.5 प्रतिशत धरोहर की राशि यथा रूपये 1,62,500/– मण्डल मुख्यालय में डिमाण्ड ड्राफ्ट जो सदस्य सचिव, रा.प्र.नि.मं., जयपुर के पक्ष में हो, के माध्यम से 10 दिवस में जमा करवानी होगी। उक्त राशि में अमानत राशि के रूप में जमा राशि समायोजित करवाई जा सकती है।
9. प्रतिभूति राशि जमा कराने के साथ ही रूपये 500/– के नॉन ज्यूडिशियल पेपर पर निर्धारित प्रारूप में अनुबन्ध प्रस्तुत करेंगें।
10. आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों का पी.एफ. एवं ई.एस.आई. का भुगतान आपके द्वारा किया जायेगा तथा उसका प्रमाण पत्र प्रत्येक महीने के बिल के साथ प्रस्तुत करना होगा।
11. प्रत्येक आगामी बिल के साथ जी.एस.टी. जमा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

भवदीय,

—।।—

(उदय शंकर)
सदस्य सचिव

क्रमांकः एफ.3(499)/रा.प्र.नि.मं./स्था./ 1502-08 **दिनांकः** 22/09/2020

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, सदस्य सचिव, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
3. आहरण एवं वितरण अधिकारी/मुख्य लेखाधिकारी/प्रभारी अधिकारी (प्रशासन), रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
4. प्रभारी अधिकारी (आई.टी.), रा.प्र.नि.मं., जयपुर को भेजकर लेख हें की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
5. मुख्य पत्रावली।

कार्यालय अध्यक्ष